

फॉर्म

नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है केदार शोनी 2. वर्तमान धारित पद वाहन चालक
 3. वर्तमान वेतन 6400+1900 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2017

उस जिले, उप-सभाग, तालुका, तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर गृह तथा अन्य भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शराकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सिद्धेशबाद तहसील हुंडुल जिला कोयंबूर महाराष्ट्र	10/5 बंगला	200000	स्वयं के नाम केदार शोनी	12-9-2013 खरीद शरदार नरवर मकान नं. 125 कोरगा प्रोपल			
जिला कोयंबूर महाराष्ट्र	600 वर्ग फीट	150,000	स्वयं के नाम	खरीद 2-11-12 फारुख शरदार शोनी गुलाबगुला कल्याणबादा हुंडुल हुंडुल (म. प्र.)			
जिला कोयंबूर महाराष्ट्र	7580 वर्ग फीट 7/12 कोयंबूर	450 वर्ग फीट 20 लाख	स्वयं के नाम	विरासत पिताजी शरदार शोनी विशनाथ शोनी			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी:—मध्यप्रदेश शासकीय संपत्ति अधिनियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके रवाना होने के समय अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Kailash Soni
 नाम केदार शोनी
 पद वाहन चालक